[2021] 9 एस. सी. आर 725

एम/एस। सूरजमुल्ल नागरमल

बानाम

श्री बृजेश मेहरोत्रा और अन्य

2017 की अवमानना याचिका (सी) Nos.726-728

में।

(सिविल अपील सं। 10394-10396 2011 का)

14 दिसंबर, 2021

[आर. सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971-अवमानना-जब नहीं-याचिकाकर्ता की 1894 अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि - एस. 4

1981 में जारी अधिसूचना, कब्जा लिया गया-भूमि को बाद में संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया-कोई पुरस्कार पारित नहीं किया गया-ताजा/आगे की अधिसूचनाएं जारी की गईं-याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में चुनौती दी गई, विभिन्न अन्य रिट याचिकाएं लंबित हैं-पुरस्कार कथित रूप से 1981 की अधिसूचना के अनुसार 2006 में पारित किया गया-उच्च न्यायालय ने कहा कि

प्रत्यर्थी में निहित भूमि का अधिकार और अधिकार-सर्वोच्च न्यायालय में राज्य याचिकाकर्ता की अपीलों को आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई

dtd.17.08। 15 यह मानते हुए कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई थी

और 2013 के अधिनियम के प्रावधान लागू होने थे; राज्य ने नए सिरे से अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया-आरोप लगाते हुए दायर अवमानना याचिकाएं

उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन-नई अधिसूचना यू / धारा 11,2013 अधिनियम के लंबित रहने के दौरान जारी किया गया-अवमानना याचिकाओं का निपटारा किया गया

आदेश dtd.29.08 देखें। 16 यह देखते हुए कि चूंकि विचाराधीन भूमि का कब्जा पहले ही ले लिया गया था, याचिकाकर्ता को भुगतान किया जाएगा

एस के अनुसार मुआवजा। 40 , 2013 अधिनियम-राज्य ने उपरोक्त आदेश में सुधार की मांग की-आई. ए. को आदेश डी. टी. डी. के माध्यम से खारिज कर दिया गया। 05.01.17- आदेश dtd.17.08 का उल्लंघन। 15 , 29.08.16 और 05.01.17 कथित-आयोजित: आदेश डी. टी. डी. को देखते हुए। 10.02.20 इस न्यायालय द्वारा पारित; नई अधिसूचना डी. टी. डी. 14.02.20 और पुरस्कार डी. टी. डी. 12.11.20 , यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादियों ने इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन किया है। 17.08.15- इस प्रकार, अंतिम अधिसूचना को देखते हुए

जारी किया गया यू / एस. 11,2013 14.02.20 पर अधिनियम और अधिकारियों द्वारा पारित निर्णय, यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्तरदाताओं ने जानबूझकर इस न्यायालय द्वारा जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया है-इसके अलावा, जब अधिसूचना यू/एस द्वारा जारी की गई थी। 11 , 2013 तात्कालिकता का आह्वान किए बिना कार्य करें

खंड, एस के अनुसार लाभ बढ़ाने का प्रश्न। 40 , 2013 अधिनियम नहीं बनेगा-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 - एस. 4,6-निष्पक्ष

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास में क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता

और पुनर्वास अधिनियम, 2013-ss. 11 , 40 , 64 , 66 , 74 – भारतीय वन अधिनियम, 1927। 29 .

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 2011 की सिविल अपील Nos.10394-10396 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17.08.2015 के आदेश में, इस आधार पर कि कार्यवाही समाप्त हो गई थी, क्योंकि अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर पुरस्कार पारित नहीं किया गया था, प्रत्यर्थी-राज्य को नए सिरे से शुरू करने का निर्देश दिया गया था

अधिग्रहण की कार्यवाही या इसके तहत उपलब्ध कोई अन्य कार्रवाई करना।

दिनांकित 17.08.2015। दिनांक 17.08.2015 के आदेश से व्यथित होकर, जब समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई थी, तो सुधारात्मक याचिका दायर की गई थी और वह लंबित है। इसके अलावा, जब 2013 के अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी, तो तत्काल खंड का आह्वान किए बिना, 2013 के अधिनियम की धारा 40 के अनुसार लाभ बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठेगा। 2013 के अधिनियम की धारा 11 के तहत 14.02.2020 पर जारी अंतिम अधिसूचना और प्रतिवादी-अधिकारियों द्वारा पारित पुरस्कार को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्तरदाताओं ने जानबूझकर और जानबूझकर इस

न्यायालय द्वारा जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया है, जिसके प्रावधानों को आकर्षित करते हुए

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971। याचिकाकर्ता मुआवजे के उचित निर्धारण के लिए अधिनियम में उपलब्ध उपायों का लाभ उठाने के लिए खुला है, लेकिन साथ ही यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादियों ने इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है। खंड एम/एस।

सूरजमुल्ल नगरमुल्ल बनाम। श्री बृजेश मेहरोत्रा और ओआरएस।

64 2013 के अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति,

जिसने पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, कलेक्टर को लिखित आवेदन द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पास संदर्भ की मांग कर सकता है

2013 अधिनियम की धारा 66 के तहत गठित। ऐसे प्राधिकारी द्वारा संदर्भ पर किए गए निर्णय के बाद भी, उच्च न्यायालय को धारा 74 के तहत एक और उपाय उपलब्ध है। जबकि याचिकाकर्ता के लिए कानून में उपलब्ध उपायों को आगे बढ़ाने के लिए यह खुला है, इस न्यायालय को कोई अवमानना नहीं मिलती है जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा आरोप लगाया गया है। [पैरा 7-9] [730-एफ-एच; 731-ए-डी; 732-ए-डी]

जे. एस. परिहार बनाम गणपत दुग्गर और अन्य। (1996) 6 एससीसी

291 [1996] 6 पूरक। एस. सी. आर. 110; दिल्ली विकास

प्राधिकरण v. महेंद्र सिंह और अन्र। (2009) 5 एस. सी. सी. 339

: [2009] 4 एससीआर 788; आर. एन. डे और अन्य। वी. भाग्यवती

प्रामाणिक और ओआरएस। (2000) 4 एससीसी 400: [2000] 3 एससीआर

172 - पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[1996] 6 पूरक। एससीआर 110

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

[2009] 4 एससीआर 788

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

[2000] 3 एससीआर 172

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

अंतर्निहित न्यायनिर्णय: अवमानना याचिका (सी) Nos.726

728 सिविल अपील सं. 2017 में। 10394-10396 2011 से।

इस अदालत के आदेश की अवमानना के लिए दायर याचिका दिनांक 17.08.2015,

29.08.2016 और सिविल अपील संख्या में 05.01.2017। 10394-10396 2015 की अवमानना याचिका (सी) No.726-728 और 2016 की आई. ए. Nos.28-30 में।

डॉ. ए. एम. सिंघवी, गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता।, गौतम

नारायण, अशोक कुमार जैन, पंकज जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, बिजय कुमार जैन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. ये अवमानना याचिकाएं धारा 12 के तहत दायर की जाती हैं।

संविधान के अनुच्छेद 129 के साथ पठित न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 भारत सरकार और अवमानना कार्यवाही को विनियमित करने के नियमों के नियम 3 (सी) [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय, 1975 की ओर से यह आरोप लगाते हुए कि प्रतिवादियों ने सिविल अपील संख्या में पारित दिनांक 17.08.2015,29.08.2016 और 05.01.2017 के आदेश में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का जानबूझकर और जानबूझकर उल्लंघन किया है। 10394-10396 2011 की अवमानना याचिका और 2015 की अवमानना याचिका (सी) Nos.726-728 और 2016 की अवमानना याचिकाओं में। 2. भागलपुर, बिहार में स्थित याचिकाकर्ता से संबंधित 29.38 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के प्रावधानों के तहत किया गया था। धारा के तहत अधिसूचना

17.08.1996 पर समान प्रभाव के लिए। जब बाद की अधिसूचना जारी की गई, तो उसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। उक्त रिट वर्ष 1998 में याचिका की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में, प्रतिवादियों ने यह रुख अपनाया है कि पहले की अधिग्रहण कार्यवाही जिसके लिए अधिसूचना जारी की गई थी, समाप्त हो गई, क्योंकि पुरस्कार वैधानिक अवधि के भीतर पारित नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने यहां एक और रिट याचिका भी दायर की जिसमें प्रतिवादी के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई-राज्य को विचाराधीन भूमि को छोड़ने और उसे कब्जा सौंपने के लिए। संभागीय वन अधिकारी द्वारा एक रिट याचिका भी दायर की गई थी जिसमें इसे चुनौती दी गई थी

अधिग्रहण कार्यवाही को वापस लेने के लिए कदम उठाने में राज्य की कार्रवाई। वन की रक्षा और संरक्षण के लिए एक जनहित याचिका के रूप में एक रिट याचिका भी दायर की गई थी। जब ऐसी याचिकाएं लंबित थीं, तो 1981 के अनुसार 27.09.2006 पर एक पुरस्कार पारित किया गया था।

अधिसूचना। तीनों रिट याचिकाओं की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा एक साथ की गई थी। जब उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है, पारित होने में देरी के बावजूद

भूमि का अधिनिर्णय, कब्जा और साथ ही प्रत्यर्थी राज्य में निहित अधिकार, मामले सिविल अपील संख्या में इस न्यायालय में आए हैं। 10394-10396 2011 से। दिनांक 17.08.2015 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता द्वारा दायर दीवानी अपीलों को यह मानते हुए अनुमति दी गई थी कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधान

अधिनियम, 2013 (संक्षेप में '2013 अधिनियम') उतना ही लागू होगा जितना कि राज्य में एम/एस नहीं है।

सूरजमुल्ल नगरमुल्ल बनाम। श्री बृजेश मेहरोत्रा और ओआरएस। [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा करने से आगे बढ़कर, बाद की अधिसूचना के अनुसार। इस न्यायालय द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त घोषित कर दिया गया था और प्रतिवादी-राज्य को नए सिरे से अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने या कोई अन्य कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था

आदेश पारित होने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर कानून के तहत उपलब्ध। 3. 17.08.2015 पर पारित उपरोक्त आदेश में जारी निर्देशों के जानबूझकर और जानबूझकर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए, पहले की अवमानना याचिकाएं

2015 की अवमानना याचिका (सी) Nos.726-728 में दायर किया गया था। 2013 अधिनियम की धारा 11 के तहत अवमानना याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान जितनी नई अधिसूचना जारी की गई थी, उतनी ही अवमानना याचिकाओं का निपटारा किया गया था

का, 29.08.2016 दिनांकित आदेश के माध्यम से। उक्त आदेश इस प्रकार है:

" यह उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है
याचिकाकर्ता के लिए कि विचाराधीन भूमि का अधिकार है

अधिकारियों द्वारा पहले ही लिया जा चुका है।

यदि ऐसा है, तो हमें यकीन है कि याचिकाकर्ता को उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 40 के प्रावधानों के अनुसार कानून के अनुसार मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013। इन परिस्थितियों में, अवमानना याचिका जीवित नहीं रहती है और इसलिए, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

उसी को वापस लेने की अनुमति मांगता है।
अनुमति दी जाती है और अवमानना याचिकाओं का निपटारा किया जाता है

जैसा कि वापस ले लिया गया "।

प्रतिवादी-राज्य ने बाद में 2016 का I.A.Nos.28-30 दाखिल किया है जिसमें दिनांकित 29.08.2016 के आदेश में सुधार की मांग की गई है, उक्त आई. ए.

05.01.2017 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिए गए थे।

4. हमने डॉ. ए. एम. सिंघवी और श्री गोपाल को सुना है।

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरनारायणन और प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार।

इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों की श्रृंखला। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहली बार में भूमि का अधिग्रहण तात्कालिकता खंड का आह्वान करके और धारा के तहत प्रावधानों का पालन करके मुआवजे के भुगतान के निर्देशों के बावजूद किया गया था 40 2013 के अधिनियम के अनुसार, उत्तरदाताओं ने [2021] 9 एस. सी. आर. का पालन किए बिना पुरस्कार पारित किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2013 अधिनियम की धारा 40 और भूमि को कृषि वन भूमि के रूप में मानते हुए। याचिकाकर्ता का मामला है कि अधिग्रहित भूमि का उपयोग कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए किया गया था, और इसके बावजूद, इस न्यायालय द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के विपरीत, भूमि को कृषि वन भूमि के रूप में माना जाता है, एक अवधारणा जो कानून के लिए अज्ञात है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब दिनांकित आदेश में सुधार के लिए आवेदन दायर किए गए थे

29.08.2016 , उक्त आवेदनों को दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से भी खारिज कर दिया गया था और 2013 अधिनियम की धारा 40 के अनुसार लाभ प्रदान नहीं किए गए थे।

6. प्रतिवादियों की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किया जाता है। जबकि

याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए विभिन्न आरोपों से इनकार करते हुए, यह उत्तरदाताओं का मामला है कि इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में

17.08.2015 का आदेश एक नई अधिसूचना जारी की गई थी जिसे इस न्यायालय द्वारा 10.02.2020 के आदेश में राज्य की ओर से दिए गए बयान को दर्ज करके समाप्त घोषित किया गया था कि एक नई अधिसूचना

सभी मुद्दों को खोलें। यह कहा गया है कि दिनांकित 10.02.2020 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, धारा 11 के तहत 14.02.2020 पर एक नई अधिसूचना जारी की गई थी। 2013 अधिनियम और आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद पुरस्कार पारित किया गया था

12.11.2020 पर। इस प्रकार न्यायालय द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश का कोई उल्लंघन नहीं हुआ, याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए किसी भी जानबूझकर उल्लंघन से बहुत कम। यह उत्तरदाताओं का मामला है कि यदि याचिकाकर्ता मुआवजे के निर्धारण से व्यथित है, तो याचिकाकर्ता के लिए यह हमेशा खुला है -

इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश। 7. इस न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 1 में पारित दिनांकित आदेश में। 10394-10396 2011 में, अधिग्रहण को रद्द करते हुए

इस आधार पर कार्यवाही कि कार्यवाही समाप्त हो गई थी, क्योंकि अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर पुरस्कार पारित नहीं किया गया था, प्रतिवादी राज्य को नए सिरे से अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने या कानून के तहत उपलब्ध कोई अन्य कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। उपरोक्त आदेश का परिणाम दिनांकित 17.08.2015 उत्तरदाताओं ने 14.11.2015 पर नई अधिसूचना जारी की है, इसके बाद दिनांकित 10.02.2020 के आदेश में, इस न्यायालय ने नोट किया है

राज्य का यह निवेदन कि दिनांक 14.11.2015 की उक्त अधिसूचना भी समाप्त हो गई क्योंकि कोई पुरस्कार पारित नहीं किया गया था, क्योंकि इस तरह की नई अधिसूचना उसके बाद 14.02.2020 पर जारी की गई थी। मेसर्स के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार।

सूरजमुल्ल नगरमुल्ल बनाम। श्री बृजेश मेहरोत्रा और ओआरएस। [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

14.02.2020 पर 2013 अधिनियम की धारा 11, पुरस्कार जांच आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ता ने 08.06.2020 पर पुरस्कार जांच में अपनी दावा याचिका दायर की है।

8. इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 10.02.2020 के आदेश और दिनांक 14.02.2020 की नई अधिसूचना और दिनांक 12.11.2020 के पुरस्कार को देखते हुए,

यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्तरदाताओं ने दिनांकित 17.08.2015 आदेश में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है। दिनांक 17.08.2015 के आदेश से व्यथित होकर, जब समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई थी, तो सुधारात्मक याचिका दायर की गई थी और वह लंबित है। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सिंघवी के इस कथन के संबंध में कि उत्तरदाताओं ने 2013

अधिनियम की धारा 40 के अनुसार लाभ प्रदान नहीं किए हैं, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2013 अधिनियम की धारा 11 के तहत जारी नवीनतम अधिसूचना में उत्तरदाताओं ने तत्काल खंड को बिल्कुल भी लागू नहीं किया है। जब 2013 के अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी, तो तात्कालिकता खंड को लागू किए बिना, 2013 के अधिनियम की धारा 40 के अनुसार लाभ बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठेगा। जे. एस. परिहार बनाम के मामले में निर्णय में। गणपत दुग्गर और Ors.[1], विद्वान वरिष्ठ वकील श्री द्वारा भरोसा किया गया प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित रंजीत कुमार ने इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया है कि एक बार इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया जाता है, तो एक उपयुक्त मंच में निवारण की मांग करने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण उत्पन्न होता है। आगे दिल्ली विकास प्राधिकरण के मामले में न्यायालय के निर्णय में v. महेंद्र

सिंह और इस न्यायालय ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और भूमि अधिग्रहण, मुआवजे के भुगतान और न्याय, समानता और सद्भावना के सामान्य कानून सिद्धांतों के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है, जिसे क़ानून के प्रावधानों के विपरीत नहीं बढ़ाया जा सकता है। आर. एन. डे और अन्य के मामले में निर्णय में। वी. भाग्यबती प्रमाणिक और Ors.[3] इस न्यायालय ने माना है कि एक डिक्री

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्राप्त एक निष्पादन योग्य डिक्री है और इस तरह के डिक्री का पालन न करने के लिए कोई अवमानना नहीं की जा सकती है। उसी निर्णय में यह देखा गया है कि अवमानना के हथियार का बहुतायत में उपयोग या दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह भी देखा गया है कि अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत कार्यवाही से निपटने में अदालत को दिए गए विवेकाधिकार का उपयोग अदालत की गरिमा और कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए और इसके अलावा एक पीड़ित पक्ष को इस बात पर जोर देने का कोई अधिकार नहीं है कि अदालत को इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अवमानना अवमानना करने वाले और अदालत के बीच है।

9. 2013 अधिनियम की धारा 11 के तहत 14.02.2020 पर जारी अंतिम अधिसूचना और प्रत्यर्थी द्वारा पारित पुरस्कार को देखते हुए अधिकारियों, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादियों ने जानबूझकर और जानबूझकर इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया है, जो अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के प्रावधानों को आकर्षित करता है। यद्यपि याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गई थीं, जिसमें कहा गया था कि भूमि को बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए निर्णय में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता के लिए मुआवजे के उचित निर्धारण के लिए अधिनियम में उपलब्ध उपायों का लाभ उठाना खुला है, लेकिन साथ ही यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादियों ने इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है। 2013 के

अधिनियम की धारा 64 में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति, जिसने पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, कलेक्टर को लिखित आवेदन द्वारा सक्षम प्राधिकारी से संदर्भ ले सकता है।

भूमि का वर्गीकरण या दिनांक 12.11.2020 के पुरस्कार में बाजार मूल्य के निर्धारण पर। सभी मुद्दों को खुला छोड़ दिया जाता है। दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।